

स्मरण पत्र

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1 अम्बेडकर भवन राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र जयपुर

जयपुर, दिनांक:

11-5-2020

क्रमांक:-एफ 3(2)()बजट/सान्याअवि/2020-21 / 693

समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक,
प्रधानाचार्य, समस्त राज. आवासीय विद्यालय,
समस्त नारी निकेतन/महिला सदन/वृद्धाश्रम
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
राजस्थान।

विषय:- राजकीय संव्यवहारों/भुगतानों में शुद्धता प्रतिस्थापित करने एवं कर्मचारियों के मास्टर डाटा में संशोधन की प्रक्रिया के सम्बंध में।

प्रसंग:- वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के Circular No F 5 (थ-75)/DTA/IFMS/ 3666-4165 date 13-09-2019 एवं F 5 (थ-75)/DTA/IFMS/पे-मैनेजर/ 9023-9522 date 23-01-2020, 12031-12181 दि0 17.03.2020 ; 226-425 दि0 15.4.20 तथा विभागीय पत्र दिनांक 20.09.2019, 03.01.20, 08.01.20, 04.02.20 तथा 20.03.20 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के प्रासंगिक परिपत्रों को वित्त विभाग की वेबसाईट www.finance.rajasthan.gov.in से डाउनलोड करते हुए आहरण एवं वितरण अधिकारियों से संबंधित महत्त्वपूर्ण निर्देशों की पालना तथा पे मैनेजर पर उपलब्ध मास्टर डाटा की शुद्धता, कार्यालयवार पद वितरण तथा मास्टर डाटा की जाँच कर अधिकृत किये जाने एवं अन्य राजकीय भुगतानों के डेटा की पूर्ण शुद्धता(मय बैंक खातों के विवरण सहित) सुनिश्चित करे तभी माह जून देय जुलाई का वेतन आहरण किया जा सकेगा। उपरोक्त प्रासंगिक परिपत्रों को गंभीरता से लिया जावे एवं उनमें दिए गए निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।

इसे उच्च प्राथमिकता प्रदान करे।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. अतिरिक्त निदेशक-(सर्तकता एवं प्रशासन)।
2. अतिरिक्त/उपनिदेशक,पिछडीजाति/अत्याचारनिवारण/राईस/सामाजिक सुरक्षा /छात्रवृत्ति एवं छात्रावास/एस.सी.एस.पी./देवनारायण/पेंशन/योजना।
3. संयुक्त निदेशक(आई0टी0)को विभागीय पोर्टल पर अपलोड कराने हेतु।
4. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार